**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या: 3397**
**गुरुवार, 20 मार्च, 2025/29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

## पांच वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा

**3397. श्री गिरिधारी यादवः**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का उड़ान योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष एक करोड़ नागरिकों को वहनीय दर पर हवाई टिकट उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हवाई कंपनियां दो वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों का पूरी सीट का किराया लेती हैं, जबकि तीन वर्ष से कम आयु के बच्चे सीट पर बैठने में सक्षम नहीं होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह उड़ान योजना के सिद्धांतों के विरुद्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का सभी हवाई कंपनियों को पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क हवाई यात्रा की अनुमति देने का निदेश देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

## उत्तर

**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश के छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है, ताकि हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाया जा सके। यह योजना क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन ऑपरेटरों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: एयरलाइन संचालन लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/केन्द्रीय शासित प्रदेशों और हवाईअड्डा ऑपरेटरों द्वारा रियायतें और ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर को पाटने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्रदान करना ताकि योजना के तहत हवाई यात्रा को किफायती बनाया जा सके।

सरकार ने दो वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों के लिए पूरी सीट के किराए के संबंध में कोई विनियमन/परिपत्र/दिशानिर्देश जारी नहीं किए हैं। एयरलाइन स्थापित अंतरराष्ट्रीय परिपाटियों का पालन करती हैं।

(घ) एवं (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****